

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/टी-10/2018-

870(2)

पटना, दिनांक 20/03/2019

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी, डा0 प्रभुनाथ गुप्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोड़ासाहन, पूर्वी चम्पारण को उनकी विशेषज्ञता को दृष्टिगत रखकर पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के Plastic Surgery विभाग में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

2. यह प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 20/03/2019

ज्ञापांक-2/टी-10/2018-

870(2)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोड़ासाहन, पूर्वी चम्पारण/डा0 प्रभुनाथ गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोड़ासाहन, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ /विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/2019

सरकार के संयुक्त सचिव